सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में प्रथम अपीलीय अधिकारी दिलीप अग्रवाल, अपर कलेक्टर दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

अपील प्रकरण क्रमांक – 08 /2016
श्री सुभाष कुमार यादव
कैलाश नगर वार्ड क्रमांक 11 दन्तेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ....**अपीलार्थी**
विरूद्ध
जन सूचना अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दन्तेवाड़ा
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ....**रिस्पाडेंट**

–आदेश–
(पारित दिनांक 04-11-2016)

- श्री सुभाष कुमार यादव कैलाश नगर वार्ड क्रमांक 11 दन्तेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा छ0ग0 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् प्रेषित प्रथम अपील समक्ष में उपस्थित होकर दिनांक 21–10–2016 को प्रस्तुत किया गया।
- अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील शुल्क की राशि जमा कर 50.00 रू0 चालान क्रमांक 006 दिनांक 05–10–2016 की मूल प्रति, जन सूचना अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा को प्रस्तुत आवेदन पत्र की छाया प्रति, जिला पंचायत कार्यालय में 132.00रू0 जमा करने संबंधी पावती क्रमांक 23 दिनांक 14–10–2016 की छायाप्रति, जिला पंचायत दंतेवाड़ा के पत्र क्रमांक/3926/07–10–2016 तथा 3975/18–10–2016 की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया।
- अपीलार्थी ने अपील में लेख किया है कि उन्होंने दिनांक 06–09–2016 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत दंतेवाड़ा को एक आवेदन पत्र प्रेषित कर चार बिन्दुओं में जानकारी चाही थी। जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत दंतेवाड़ा द्वारा उपलब्ध कराई गई बिन्दुवार जानकारी का विवरण एवं प्रथम करने का कारण इस प्रकार उल्लेखित किया गया है:–

  (1) श्री गजेन्द्र कुमार दिवान जो कि कलेक्टर दर पर जून 2012 से कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर कार्यरत हैं उन्हें माह जून एवं जुलाई 2013 में रू0 9700.00 का मानदेय किस नियम के तहत् दिया गया, नियम की छायाप्रति प्रदान किया जावे। इस बिन्दु के संबंध में **नियम की प्रति नहीं दिया गया बल्कि कार्यालयीन नोट शीट की प्रति उपलब्ध करायी गई है। इस प्रकार सही जानकारी नहीं दी गई।**

  (2) श्री गजेन्द्र कुमार दिवान की प्रथम नियुक्ति दिनांक की जानकारी दी जावे। इस संबंध में नियुक्ति की तिथि की जानकारी सही दी गई है किन्तु इसके साथ **53 पृष्ठों की जो जानकारी दी गई है वो मैंने नहीं मांगी थी फिर भी इनके द्वारा दी गई है।**

  (3) श्री नरेन्द्र नेताम को गीदम विकास खण्ड का विकासखण्ड समन्वयक किस नियम के तहत् बनवाया गया । **इस बिन्दु की सही जानकारी उपलब्ध कराई गई है।**

  (4) संशोधित कार्यालयीन निरन्तरता आदेश क्रमांक/31/स्टेनो/क.अ./2015 दंतेवाड़ा में फार करके हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम की जानकारी दी जावे । इसके साथ ही निरंतरता आदेश में फार करके हस्ताक्षर करने का नियम है क्या? यदि नियम है तो नियम की छायाप्रति दी जावे। इस बिन्दु के संबंध में **फार करके हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम व पद नाम की जानकारी दी गई है किन्तु फार करके हस्ताक्षर करने के संबंध में क्या नियम है, नियम की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है।**
- जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत दंतेवाड़ा को सूचना पत्र क्रमांक/4451/अपर कले./सू0काअधि0/रीडर/2016 दंतेवाड़ा दिनांक 21–10–2015 प्रेषित कर पक्ष समर्थन में जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत करने दिनांक 03–11–2016 को उपस्थित होने सूचित किया गया।

- प्रकरण की प्रथम सुनवाई तिथि दिनांक 03–11–2016 को अपीलार्थी श्री सुभाष यादव एवं जन सूचना अधिकारी की ओर से श्री शेख बशीर सहायक परियोजना अधिकारी एवं नोडल अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन कार्यालय जिला पंचायत दंतेवाड़ा उपस्थित हुए।
- श्री शेख बशीर द्वारा पत्र कमांक/4170/जि0जा0स्व0मि0स0/दिनांक 02–11–2016 के माध्यम से प्रथम अपील के संबंध में बिन्दुवार जवाब व दस्तावेजों की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया तथा जवाब की एक प्रति अपीलार्थी को भी सुनवाई के दौरान प्रदाय किया गया। जवाब में उल्लेखित तथ्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

<u>बिन्दु कमांक (1)</u>

माह जून एवं जुलाई 2013 में कार्य की अधिकता के कारण श्री गजेन्द्र कुमार दिवान से कार्यालयीन समय के अतिरिक्त रात में भी डाटा एन्ट्री का कार्य कराए जाने के कारण उन्हें प्रतिमाह 3190.00 की दर से दो माह का 6380.00 रू0 अतिरिक्त मानदेय के रूप में भुगतान किया गया था किन्तु त्रुटिवश भुगतान किए गए इस राशि की वसूली के संबंध में सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किए जाने संबंधी कार्यालयीन टीप पत्र की प्रतिलिपि अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई है। अतिरिक्त कार्य करने के लिए पृथक से मानदेय देने का कोई नियम नहीं होने के कारण नियम की प्रतिलिपि प्रदाय नहीं की गई है।

<u>बिन्दु कमांक (2)</u>

इस बिन्दु के अन्तर्गत जवाब में लेख किया गया है कि श्री गजेन्द्र कुमार दिवान की प्रथम नियुक्ति तिथि की जानकारी अपीलार्थी को दी गई है साथ ही श्री गजेन्द्र कुमार दिवान के कार्यरत अवधि से संबंधित कार्यालयीन नोटशीट के 53 पृष्ठ की छायाप्रतियां भी उपलब्ध कराई गई है। अपीलार्थी ने सुनवाई के दौरान मौखिक तर्क रखा गया कि प्रथम नियुक्ति की तिथि में नियुक्ति का दिनांक नहीं बताया गया है अपितु माह का नाम एवं वर्ष बताया गया है। श्री शेख बशीर ने इस संबंध में अपने मौखिक तर्क में बताया कि श्री गजेन्द्र कुमार दिवान के कलेक्टर दर पर प्रथम नियुक्ति से संबंधित अभिलेख अभी भी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपलब्ध हैं। जिला पंचायत में उपलब्ध नोटशीट के आधार पर ज्ञात प्रथम नियुक्ति के माह एवं वर्ष की जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई है साथ ही कार्यरत अवधि से संबंधित कार्यालयीन नोटशीट के 53 पृष्ठों की जानकारी भी प्रदाय की गई है।

<u>बिन्दु कमांक (3)</u>

अपीलार्थी बिन्दु कमांक 03 के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी से संतुष्ट हैं तथा उन्होंने अपने प्रथम अपील में इस बात का उल्लेख किया है।

<u>बिन्दु कमांक (4)</u>

बिन्दु कमांक 04 में संबंध में प्रस्तुत जवाब में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कार्यालयीन आदेश कमांक 31/स्टेनो/06–06–2015 जो निरंतरता आदेश से संबंधित है में फार करके हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद नाम की जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है। कार्यालय प्रमुख के अवकाश पर रहने के कारण निरंतरता आदेश में लेखा अधिकारी द्वारा फार करके हस्ताक्षर किया गया है। मौखिक तर्क में श्री शेख बशीर ने यह भी बताया कि निरंतरता आदेश के संबंध में कार्यालयीन टीप पत्र में सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने उपरांत ही जारी किए गए आदेश में लेखा अधिकारी द्वारा फार करके हस्ताक्षर किया गया है। फार करके हस्ताक्षर करने संबंधी कोई नियम कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण नियम की छायाप्रति अपीलार्थी को प्रदाय नहीं किया गया है।

- प्रकरण में प्रस्तुत जवाब, दस्तावेज तथा उभय पक्ष के मौखिक तर्क का श्रवण करने उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अपीलार्थी को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता थी। उनमें से जो दस्तावेज जन सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध थे वह उपलब्ध करा दिया गया है। अपीलार्थी के आवेदन की कण्डिका 01 में मानदेय दिए जाने से संबंधित नियम व कण्डिका 04 में फार करके हस्ताक्षर करने संबंधी नियम की प्रति उपलब्ध नहीं होने के कारण उसकी

प्रतिलिपि उन्हें प्रदाय नहीं की गई है। किन्तु कण्डिका 02 के अनुसार श्री गजेन्द्र कुमार दिवान के प्रथम नियुक्ति (कलेक्टर दर पर) की तारीख उपलब्ध नहीं कराया जाकर केवल माह एवं वर्ष की जानकारी दी गई है। इसके अलावा अनावश्यक रूप से 53 पृष्ठों की जानकारी अपीलार्थी को शुल्क लेकर प्रदाय की गई है।

- अतः जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत दन्तेवाड़ा को इस निर्देश के साथ प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है कि श्री गजेन्द्र कुमार दिवान की प्रथम नियुक्ति (कलेक्टर दर) की स्पष्ट जानकारी (तारीख/माह/वर्ष) अपीलार्थी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जावे तथा भविष्य में सूचना के अधिकार के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्रों में आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी ही उपलब्ध कराई जावे। जिन दस्तावेजों की मांग न की गई हो अनावश्यक रूप से आवेदकों को प्रदाय न किया जावे।

अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दन्तेवाड़ा

पृ0क0/4710/सू0अ0/अपील/2016 दन्तेवाड़ा दिनांक 04-11-2016

प्रतिलिपि :—

1— मुख्य कार्यपालन अधिकारी/जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला पंचायत दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

2— श्री सुभाष यादव, कैलाश नगर वार्ड कमांक 11 दन्तेवाड़ा छ0ग0 की ओर सूचनार्थ लेख है कि इस आदेश के विरूद्ध यदि आप चाहें तो निम्नलिखित पते पर, 90 दिवस के भीतर द्वितीय अपील कर सकते हैं।

3— डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0 केन्द्र जिला कार्यालय दंतेवाड़ा की ओर वेब साईट में अपलोड करने की कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पता:—

मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड शंकर नगर रायपुर (छ0ग0)

अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दन्तेवाड़ा